बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–21 / 3 /2012

संख्या–10/उप केन्द्र–09–01/2011– /स्वा0, विभागीय संकल्प सं0–638(10) दिनांक–13.11.2007 की कंडिका–3(क) में यह प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम मापदण्डों के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी जमीन को बिहार राज्यपाल के पदनाम से विभाग द्वारा पूर्व से चिह्नित एवं स्वीकृत स्वास्थ्य संबंधी भवन को बनाने के उद्देश्य से दान दिया जाता है, तो इस परिस्थिति में सरकार द्वारा बनने वाले उक्त भवन का नाम दानकर्त्ता अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा।

2– तद्आलोक में समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर अंचल के ग्राम–बंधार, शिवपुर, थाना नं0–26, खाता नं0–148, खेसरा नं0–599, रकवा–3000 वर्ग फीट भूमि श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, पिता–स्व0 राम नारायण चौधरी, ग्राम–बंधार, शिवपुर द्वारा स्वास्थ्य उप केन्द्र, बंधार के भवन निर्माण हेतु महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम से दान में दी गई है। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1044 दिनांक–21.04.2011 के द्वारा उपर्युक्त संकल्प में वर्णित प्रावधानान्तर्गत विद्या शैलेन्द्र स्वास्थ्य उप केन्द्र, बंधार करने पर सहमति प्रदान की गई है।

3– वर्णित तथ्यों के आलोक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवाजीनगर के स्वास्थ्य उप केन्द्र, बंधार का नाम **विद्या शैलेन्द्र स्वास्थ्य उप केन्द्र, बंधार** किया जाता है।

4– यह तुरंत के प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 21/3

(विश्वनाथ ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1413(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 21 / 3 /2012

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितं

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी/राज्य कुष्ठ निवारण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक/निदेशक, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सभी उप निदेशक, मुख्यालय/विभाग के सभी पदाधिकारी/अवर सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप महानिरीक्षक (अभियोजन), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3

सरकार के संयुक्त सचिव।

sec-10-All letter